



मध्य प्रदेश अध्यापक भू-अभिलेख
खण्ड

प्रत्येक एक (नियम 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-संरक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11031083318

क्रम: शैली/श्रेणी	भूमि के श्रेणी/प्रकार		प्लॉट/खंड		नागरिका		प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश		तहसील: मोपन बजौरिया		भूमि पर विद्यमान तथा प्रभाव		विवाद: शाजापुर		वर्ष: 2022-2023
	भूमि के श्रेणी/प्रकार	श्रेणी/प्रकार	प्लॉट/खंड	खंड/खण्ड	1. भूमि स्वामी/पति/पत्नी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	2. शासकीय भूमि	3. भूमि स्वामी/पति/पत्नी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	4. शासकीय भूमि	1. सरकारी प्लॉट/खंड का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	2. प्लॉट/खंड का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	3. प्लॉट/खंड का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	4. अन्य	1. भूमि पर विद्यमान तथा प्रभाव	2. विवाद	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
100531 3375	45 (S)		6.7300 हेक्टर	(शासकीय)											
			र.0.00												

कलेक्टर द्वारा प. क्र. 00006/अ-20(3) 2022-23 एवं अंश
दिनांक 18/05/2022 के अनुसार दिनांक 27/05/2022 को नुस्खा
प्रिन्टिंग में परिवर्तित करें।

न्यायान्त कलेक्टर द्वारा शाजापुर के प्लॉट क्रमांक 00006/अ-
20(3)-2022-23 अंश दिनांक 18/05/2022 में रकम 6.73 हे.
भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की गई।





Khasra

Format 1 (See rule 6)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajsva Sanhita (Bhu-Servekshan Tatha Bhu-Abhilekh Niyam 2020)

Village: मांगलिया			Halka: मांगलिया			Tehsil: मोमन बड़ोदिया			District: शाजापुर		Year: 2022-2023
Unique ID of part of parcel of Land	Type of land parcel (Survey Number/Block Number)	Plot Number (In case of a Block)	1. Area (in ha./sq. metre) 2. Land use for which assessed 3. Land Revenue /Lease Rent (in Rs.)	1. Name of Bhumiswami, his mother's/ Father's/ Husband's name and address of residence 2. Govt. land	Share of each Bhumiswami (in case of joint holding)	1. Name of Government lessee, his mother's father's name and address of residence 2. Period of lease 3. Area under lease	Name of occupancy tenant (if any), his mother's/ father's name and address of residence	Encumbrances and charges on land 1. Mortgage 2. Hypothecation 3. Ongoing land acquisition process	Crop details		1. Irrigation status of land 2. Structures/trees on land 3. Other remarks 4. Orders for correction of entries during year in column no (1) to 9
									Crop	Area under crop	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1217096177	220 (S)		75800 हक्टेयर्स रु.0.00								कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक 02/07/2021 के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। न्यायलय कलेक्टर जिला शाजापुर के प्र.क्र. 04/अ-19(3)/2021-22 आदेश दिनांक 02/07/2021 से रकबा 6.58 है. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की गई।

Note :-

1. This form is only for the information of the applicant.
2. It cannot be used as evidence in any court of law.
3. For digitally signed copy please apply through IT Center, LSK, MPOnline or online.
4. For correction/amendment in entries, contact the concerned district/tehsil office.



Khasra

Format 1 (See rule 6)

The Madhya Pradesh Bhū-Rajsva Sanhita (Bhū-Servekshan Tatha Bhū-Abhilekh Niyam 2020)

Village: मांगलिया			Halka: मांगलिया			Tehsil: मोमन बड़ोदिया			District: शाजापुर		Year: 2022-2023
Unique ID of part of parcel of Land	Type of land parcel (Survey Number/Block Number)	Plot Number (In case of a Block)	1. Area (in ha./sq. metre) 2. Land use for which assessed 3. Land Revenue /Lease Rent (in Rs.)	1. Name of Bhumiswami, his mother's/ Father's/ Husband's name and address of residence 2. Govt. land	Share of each Bhumiswami (in case of joint holding)	1. Name of Government lessee, his mother's father's husband's name and address of residence 2. Period of lease 3. Area under lease	Name of occupancy tenant (if any), his mother's father's husband's name and address of residence	Encumbrances and charges on land 1. Mortgage 2. Hypothecation 3. Ongoing land acquisition process	Crop details		1. Irrigation status of land 2. Structures/trees on land 3. Other remarks 4. Orders for correction of entries during year in column no (1) to 9
									Crop	Area under crop	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1230373754	239 (S)		1. 1000 हेक्टेयर रु.0.00								कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक 02/07/2021 के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0006/अ-20(3)/2022-23 एवं आदेश दिनांक 18/05/2022 के अनुसार दिनांक 27/06/2022 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। न्यायालय कलेक्टर जिला शाजापुर के प्र.क्र. 04/ अ-19(3)/2021-22 आदेश दिनांक 02/07/2021 से रकबा 12.00 है. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई। न्यायालय कलेक्टर जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 0006/ अ-20(3)/2022-23 आदेश दिनांक 18/05/2022 से पूर्व में वन विभाग को हस्तांतरित भूमि 12.00 हेक्टर में से 3.00 भूमि को निरस्त की गई।

Note :-

1. This form is only for the information of the applicant.
2. It cannot be used as evidence in any court of law.
3. For digitally signed copy please apply through IT Center, LSK, MPOnline or online.
4. For correction/amendment in entries, contact the concerned district/tehsil office.

प्रिंट



Khasra

Format 1 (See rule 6)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajsva Sanhita (Bhu-Servekshan Tatha Bhu-Abhilekh Niyam 2020)

Village: मांगलिया			Halka: मांगलिया			Tehsil: मोमन बड़ोदिया			District: शाजापुर		Year: 2022-2023
Unique ID of part of parcel of Land	Type of land parcel (Survey Number/Block Number)	Plot Number (In case of a Block)	1. Area (in ha./sq. metre) 2. Land use for which assessed 3. Land Revenue /Lease Rent (in Rs.)	1. Name of Bhumiswami, his mother's/ Father's/ Husband's name and address of residence 2. Govt. land	Share of each Bhumiswami (in case of joint holding)	1. Name of Government lessee, his mother's father's husband's name and address of residence 2. Period of lease 3. Area under lease	Name of occupancy tenant (if any), his mother's/ father's husband's name and address of residence	Encumbrances and charges on land 1. Mortgage 2. Hypothecation 3. Ongoing land acquisition process	Crop details		1. Irrigation status of land 2. Structures/trees on land 3. Other remarks 4. Orders for correction of entries during year in column no (1) to 9
									Crop	Area under crop	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1259529221	285/4 (S)		2.4500 हक्टेयर्स रु.0.00								कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक 02/07/2021 के अनुसार दिनांक 23/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0006/अ-20(3)/2022-23 एवं आदेश दिनांक 18/05/2022 के अनुसार दिनांक 27/06/2022 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। न्यायालय कलेक्टर के प्र. क्र. 04/अ-19(3)/2021-22 आदेश दिनांक 02/07/2021 से वन विभाग को आंबटित की गई। न्यायालय कलेक्टर जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 0006/अ20(3)/2022-23 आदेश दिनांक 18/05/2022 से रकबा 2.05 हे. पूर्व में वन विभाग को हस्तांतरित भूमि को निरस्त की गई।

Note :-

1. This form is only for the information of the applicant.
2. It cannot be used as evidence in any court of law.
3. For digitally signed copy please apply through IT Center, LSK, MPOnline or online.
4. For correction/amendment in entries, contact the concerned district/tehsil office.

प्रिंट



Khasra

Format 1 (See rule 6)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajsva Sanhita (Bhu-Servekshan Tatha Bhu-Abhilekh Niyam 2020)

Village: कडुला			Halka: कडुला			Tehsil: मोमन बड़ोदिया			District: शाजापुर		Year: 2022-2023
Unique ID of part of parcel of Land	Type of land parcel (Survey Number/Block Number)	Plot Number (In case of a Block)	1. Area (in ha./sq. metre) 2. Land use for which assessed 3. Land Revenue /Lease Rent (in Rs.)	1. Name of Bhumiswami, his mother's/ Father's/ Husband's name and address of residence 2. Govt. land	Share of each Bhumiswami (in case of joint holding)	1. Name of Government lessee, his mother's father's husband's name and address of residence 2. Period of lease 3. Area under lease	Name of occupancy tenant (if any), his mother's/ father's husband's name and address of residence	Encumbrances and charges on land 1. Mortgage 2. Hypothecation 3. Ongoing land acquisition process	Crop details		1. Irrigation status of land 2. Structures/trees on land 3. Other remarks 4. Orders for correction of entries during year in column no (1) to 9
									Crop	Area under crop	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1498109905	2247 (S)		6.0400 हेक्टेयर गैरमुमकिन 6.0400 रु.0.00								गैरमुमकिन 6.0400 कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक 02/07/2021 के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। न्यायालय कलेक्टर, जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 आदेश दिनांक 02/07/2021 से रकबा 4.04 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित की गई।

Note :-

1. This form is only for the information of the applicant.
2. It cannot be used as evidence in any court of law.
3. For digitally signed copy please apply through IT Center, LSK, MPOnline or online.
4. For correction/amendment in entries, contact the concerned district/tehsil office.




मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा
प्रथम एक (नियम 6 देखिए)



मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 1119020200129013000462

ग्राम: नागलिया		पटवारी हल्का: नागलिया		तहसील: मोनम डोडिया		जिला: राजापुर		वर्ष: 2021-2022					
भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या)	भूमि के क्षेत्रफल (हेक्टर/बर्ग मीटर में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा पता	2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अना	1. रसकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	2. पट्टे की अधीन क्षेत्र	नौखी कुचक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभाव	1. खेक	2. दृष्टिकोण	3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के अर्थान क्षेत्रफल	फसल के बोरे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
72 (S)	5.9600 हेक्टर	(शासकीय)	रु.0.00										
108567 8785													
कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक 02/07/2021 के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज।													
न्यायलय कलेक्टर जिला राजापुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 आदेश दिनांक 02/07/2021 से रकबा 5.96 है. वन विभाग को हस्तांतरित की गई।													





मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख


खसरा

प्रथम एक (नियम 6 देखिये)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR.No. : 1119020200129013000468


ग्राम: नांगलिया	भूमि के भाग की श्रेणी (सर्वेक्षण सत्यापक/खसरा/सत्यापक)	भू-खसरा सत्यापक (खसरा/सत्यापक) की श्रेणी (सत्यापक/खसरा)	पटवारी हलका: नांगलिया	माता/पिता/पति का नाम, उसकी माता का नाम तथा निवास का पता	प्रत्येक भूमि स्वामी का अना	राहसील: मोहन बडीदिया	जिला: शाजापुर				वर्ष: 2021-2022
							मामूली कुबक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विहीन तथा प्रभाव	फसल के बारे में	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1188283 959 (S)	182		6.1500 हेक्टेयर ₹.0.00	(शासकीय)							कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/31-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक 02/07/2021 के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। न्यायालय कलेक्टर जिला शाजापुर के प्र. क्र. 04/31-19(3)/2021-22 आदेश दिनांक 02/07/2021 से 6.15 है. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की गई।



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 1
Date: 2021.08.10 18:44:57 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 1119020200129013000468

CLR No. : 1119020200129013000525

क्र.सं.	शाम: मांगलिया	पटवारी हल्का: मांगलिया	पटवारी हल्का: मांगलिया	राहसील: मोपन बडोदिया	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभाव	जिला: शाजापुर	वर्ष: 2021-2022				
1	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या)	भू-खण्ड संख्या (ब्लॉक संख्या की दृष्टि से)	पटवारी हल्का (हेक्टेयर/मीटर में) 2. भूमि खण्डों/ब्लॉकों के लिए निर्धारित किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमि स्वामी का नाम, उसकी माता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	मौखी दायक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पते की अवधि 3. पते के अधीन क्षेत्र	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पते की अवधि 3. पते के अधीन क्षेत्र	1. भूमि के विवाद संबंधी प्रालिखित 2. भूमि पर संरचना/खूब 3. अन्य अभिलेखित 4. वर्ष के दौरान कोलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश				
140907 2512	736/4 (5)		2.2500 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय)	6	7	8	9	10	11	12
कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक 02/07/2021 के अनुसार दिनांक 23/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज।											
न्यायलय कलेक्टर जिला शाजापुर के प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 आदेश दिनांक 02/07/2021 से वन विभाग को आवंटित की गई।											





मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा


प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

CLR No. : 1119020200122007000337

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



ग्राम: माल्याहेडी	भूमि के भाग की यूनिक आईडी		भू-खण्ड संख्या (खण्ड की संख्या)	पटवारी हलका: माल्याहेडी	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व भू-भाटक (रु. में)	5	6	7	8	9	जिला: शाजापुर		वर्ष: 2021-2022
	प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/हलका संख्या)	आईडी									फसल के ब्यारे	फसल के अधीन	
1	2	3	4	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अथवा	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मोरबी कुवक (मिट्टि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभाव 1. बंधक 2. दृष्टिबधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यारे फसल के अधीन 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	10	11	12	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियां 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
143809 3091	939 (S)		6.6200 हेक्टेयर पहाड 6.6200 रु.0.00	(शासकीय)								पहाड	कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक 02/07/2021 के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज । न्यायालय कलेक्टर, जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 आदेश दिनांक 02/07/2021 से रकबा 6.62 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित की गई।





मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा




प्रत्येक एक (नियम 6 देखिये)

CLR No. : 1119020200122007000339

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: माल्याहेडी		पटवारी हलका: माल्याहेडी		तहसील: मोन मंडोदिया		जिला: शाजापुर		वर्ष: 2021-2022			
भूमि के भाग की शूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक/ब्लॉक संख्याक)	भू-खण्ड संख्याक (ब्लॉक संख्याक की दशा में)	पटवारी हलका (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि खण्ड संख्याक जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	प्रत्येक भूमि स्वामी का अत्र	1. सरकारी पटवारी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पते की अवधि 3. पते के अधीन क्षेत्र	मौखी कृष्क (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभार 1. षंका 2. वृष्टिकाक 3. पू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यारे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	वर्ष: 2021-2022 1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /कृष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के अर्थ	
1438323 377	(S)	3	4 28.6500 हेक्टेयर पहाड 28.6500 रु.0.00	5 (शासकीय)	6	7	8	9	10	11	12
पहाड कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक02/07/2021के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज न्यायालय कलेक्टर, जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 आदेश दिनांक 02/07/2021 से रकबा 6.82 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित की गई।											





मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-आभिलेख

खसरा

प्रथम एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-आभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 1119020200121005001576



भूमि के भाग की श्रेणी और आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या)	भू-खण्ड संख्या (ब्लॉक की संख्या दर्शा में)	पटवारी हल्का: कड़ुल	तस्वील: मोमन बडोदिया				जिला: शाजापुर				वर्ष: 2021-2022
				प्रत्येक भूमि स्वामी का अत्र	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	नौकरी कुचक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विहीनता तथा प्रभार	फसल के बारे में	फसल के अधीन क्षेत्र			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
149804 9649	2243/ 3 (5)		1. बेचमाल (हेक्टयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयुक्ति जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अत्र	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	नौकरी कुचक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विहीनता तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिब्यक्त 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के अधीन क्षेत्र	फसल के अधीन क्षेत्र	वर्ष: 2021-2022 1. भूमि के सिंकाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /बंध 3. अन्य अभियुक्तियां 4. वर्ष के दौरान कालम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
			4.8200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय)							कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक02/07/2021के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज । न्यायालय कलेक्टर, जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 आदेश दिनांक 02/07/2021 से रकबा 4.82 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित की गई।	





मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा


प्रथम एक (नियम 6 देखिये)

CLR No. : 1119020200121005001578

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



ग्राम: कडूला	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण सत्याक/खोला सत्याक)	भू-खण्ड सत्याक (ब्लॉक की दशा में)	पटवारी हल्का: कडूला		तहसील: मोहन नदीदिवा	भूमि पर दिखुंगे तथा प्रभार				जिला: शाजापुर	वर्ष: 2021-2022
			1. बेअकल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)	2. भूमि उपयोग जिसके लिए निश्चय किया गया है		1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी पिता / पति का नाम तथा निवास का पता	2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149806 4501 (S)	2244		3.3700 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय)							कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक 02/07/2021 के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। न्यायालय कलेक्टर, जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 आदेश दिनांक 02/07/2021 से रकबा 3.37 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित की गई।





मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा


प्रत्येक एक (नियम 6 देखिये)

CLR No. : 1119020200121005001580

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020




भूमि के भाग की शूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण सख्या/हलॉक सख्या)	भू-खण्ड सख्या (हलॉक की दशा में)	पटवारी हलका: कडुला	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश		तहसील: मोमन बरौटिया	भूमि पर खिड़गंम तथा प्रभार	जिला: शाजापुर	वर्ष: 2021-2022			
				1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	2. शासकीय भूमि							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
149807 9272 (S)	2245		1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि स्वामी जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पटवारी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अर्धान क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर खिड़गंम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिब्यक्त 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के अर्धान क्षेत्रफल 1. खरीप 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के ब्यारे	वर्ष: 2021-2022 1. भूमि के सिंबल संकी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना/कृषि 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कालम संख्या (1) से (9) तक में प्राविष्टियों में सुधार के आदेश	
			(शासकीय)								कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक02/07/2021के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज	न्यायालय कलेक्टर, जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 आदेश दिनांक 02/07/2021 से रकबा 5.75 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित की गई।





CLR No. : 1119020100116033000632


ग्राम: गांजहोली		पटवारी हल्का: उनरिया डगा		तहसील: नोमन बड़ोदिया		जिला: राजापुर		वर्ष: 2021-2022			
भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या)	भूमि के भाग का क्रमांक (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या)	भू-खण्ड संख्या (हलक संख्या की दशा में)	पटवारी हल्का (हब्टदार/वर्ग मीटर में)	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	तहसील: नोमन बड़ोदिया	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभाव	फसल के ब्यारे	फसल के अधीन	वर्ष: 2021-2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1275346 034 (S)	313		13.8900 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय)							कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक02/07/2021के अनुसार दिनांक 12/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज । श्रीमान कलेक्टर महोदय राजापुर के प्र. क्र. ०४ /अ१९ (३) /२०२१-२२ आ.दी. ०२/०७ /२०२१ से १३.८९ हे.भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की गई .



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT-MADHYA PRADESH 1
Date: 2021.08.13 13:28:49 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 1119020100116033000632

CLR No. : 1119020100116033000630


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	वर्ष: 2021-2022	
												ग्राम: बांजाहेडी	खसरा
भूमि के भाग की श्रेणी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या)	भू-खण्ड संख्या (ब्लॉक संख्या की दशा में)	पटवारी हल्का: जमरिया दशा	तहसील: मोपन बडीदिया	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	मौलवी क्रयक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रमाण	फसल के अर्थों	जिला: शाजापुर	फसल के ब्यौरे	वर्ष: 2021-2022	वर्ष: 2021-2022
1330781 736 (5)	435		7,3500 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय)								1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में परिवर्तनों में सुधार के अंदाज	कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक02/07/2021के अनुसार दिनांक 12/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज । श्रीमान कलेक्टर महोदय शाजापुर के प्र. क्र. ०४/अ-१९ (३)/२०२१ -२२ आ दी ०२/०७/२०२१ से ३.०० हे भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की गई .



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 1
Date: 2021.08.13 13:27:07 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 1119020100116033000630

CLR.No. : 1119020100116033000628


ग्राम: बांजहेडी भूमि के भाग की श्रृंखला आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक /श्रृंखला संख्याक)	भू-खण्ड संख्याक (श्रृंखला की संख्याक)	पटवारी इलाका: उमरिया टटा	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	तहसील: सोमन बड़ीदिया	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभार				जिला: शाजापुर फसल के बारे में	वर्ष: 2021-2022		
						1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता / पिता / पति का नाम तथा पता	2. शासकीय भूमि	3. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	4. श्रेष्ठ की अवधि			5. श्रेष्ठ के अधीन क्षेत्र	6. फसल (श्रेष्ठ/वर्ग मीटर में)
1117522 822 (S)	103		11.1100 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय)									कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक02/07/2021के अनुसार दिनांक 12/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज । श्रीमान कलेक्टर मलेदय शाजापुर के प्र .क्र .०४ /अ-१९ (३)/२०२१ -२२ आ दी ०२ -०७ -२०२१ से ११ .११ हे भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की गई .



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 1
Date: 2021.08.13 13:25:30 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 1119020100116033000628




ग्राम: फावका भूमि के भाग की मुक्त आईडी	भू-खण्ड संख्या (ब्लॉक की संख्या/दस्ता में)	फटवारी हलका: फावका		प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	राहस्यील: नोनन खोदिया	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभार	जिला: शाजापुर		वर्ष: 2021-2022			
		1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता	2. शासकीय भूमि				फसल के बारे में	फसल के अधीन क्षेत्रफल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
142202 0316 (S)	816/1		0.6300 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय)								कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक02/07/2021के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज । न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर के प्र. क्र.- 04/अ-19(3)/2021-22 आ.दि. 02/07/2021 से वन विभाग को हस्तांतरित





CLR No. : 11190201001010030000892


ग्राम, पावका	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या)	भू-खण्ड संख्या (ब्लॉक की संख्या में)	पटवारी हल्का: पावका	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	तहसील: नोपन नजारेिया	जिला: राजापुर	वर्ष: 2021-2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142202 0395	816/2 (S)		1. बंक्राल (हेक्टर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	नौकरी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रसार 1. ब्याक 2. दृष्टिकोण 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	पसल के ब्यारे पसल के अधीन 1. खरीफ 2. रबी 3. जामद 4. अन्य	कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक 02/07/2021 के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज ।	न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला राजापुर के प्र. क्र. 04-अ-19(3)-2020-21आ.दि. 02-07-2021 से यन विभाग को हस्तान्तरित की गई	





CLR No. : 1119020100101003000893

ग्राम: पावका	भू-खुण्ड संख्याक (ब्लॉक संख्याक की दशा में)		पटवारी हत्का: पावका		तहसील: मोनन मंडोदिया		जिला: शाजापुर		वर्ष: 2021-2022																
	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक/ब्लॉक संख्याक)	भू-संख्याक (ब्लॉक की दशा में)	1. बेअमाल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)	2. भूमि उपयोग निधारण किया गया है	3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता / पति का नाम तथा निवास का पता	2. भूमि स्वामी का अंश	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश		1. सरकारी पट्टेवर का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	2. पट्टे की अवधि	3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कुक्क (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभार	1. खक	2. दृष्टिक	3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभार	1. खक	2. दृष्टिक	3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के अधीन क्षेत्रफल	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. खरीफ	2. रबी
1	816/3	(S)	2.0000	हेक्टेयर	रु.0.00	(शासकीय)	6	7	8	9	10	11	12	कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक02/07/2021के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज ।	न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर के प्र.क्र. 04-अ-19(3-)-2020-21आ.दि. 02-07-2021से वन विभाग को हस्तान्तरित की गई।										






मध्य प्रदेश कम्प्यूटराइज्ड भू-आभिलेख
खसरा

प्रथम एक (नियम 6 दोबारा)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11190201001010030000894

ग्राम: भावका भूमि के भाग की श्रृंखला आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/संख्या/संख्या)	भू-खण्ड संख्या (ब्लॉक की संख्या)	पटवारी हल्का: फावका 1. बोरफल (हैक्टर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	5 (शासकीय)	6 प्रायिक भूमि स्वामी का अंश	7 1. सरकारी पट्टदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	8 नारसी कुचक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	9 भूमि पर दिखे हुए तथा प्रभाव 1. न्यूनक 2. दृष्टिकोण 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	जिला: शाजापुर		वर्ष: 2021-2022
									फसल के ब्यौरे	फसल के अधीन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142202 0013	816/4 (S)		2.0000 हेक्टर रु.0.00								कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021 एवं आदेश दिनांक 02/07/2021 के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज । न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर के प्र.क्र. 04-अ-19(3)-2020-21आ.दि. 02-07-2021 से वन विभाग को हस्तान्तरित की गई।





मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा


प्रथम एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 1119020100101003000895



ग्राम: फावका	पटवारी हल्का: फावका	तहसील: मौपन कडोदिया	जिला: शाजापुर	वर्ष: 2021-2022							
भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक/दवा में)	भू-खण्ड संख्या (ब्लॉक की संख्या)	पटवारी हल्का (हेक्टर/बर्ग मीटर में) 2. भूमि खसरे के लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रि. में)	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रथम 1. बंधक 2. दृष्टिकोण 3. पू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के अर्थीन 1. फसल खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के ब्यारे	1. भूमि के सिंचाई संकी प्राप्ति 2. भूमि पर सरचना/बुझ 3. अन्य अभियुक्तियां 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142202 0272	816/5 (S)	2.0000 हेक्टर ₹.0.00	(शासकीय)								कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक 02/07/2021 के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज । न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर के प्र. क्र. 04-अ-19(3)-2020-21 आ. दि. 02-07-2021 से वन विभाग को हस्तान्तरित की गई।






मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा

प्रत्येक एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संरिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR.No. : 1119020100101003000898


ग्राम: फावका		पटवारी हल्का: फावका		तहसील: मोनन मंडोदिया		जिला: शाजापुर		वर्ष: 2021-2022						
भूमि के भाग की श्रृंखला आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या)	भू-खण्ड संख्या (ब्लॉक की दशा में)	पटवारी हल्का (हेक्टर/बर्ग मीटर में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टर/बर्ग मीटर में)	2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमि स्वामी का नाम, उसकी पति या पत्नी का नाम तथा निवास का पता	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंग	मौखी कृपक (घटि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान प्रभार	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभार	फसल के अर्थ	फसल के अर्थ	वर्ष: 2021-2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
142202 0259	816/7 (S)		2.0000 हेक्टर	(शासकीय)										कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक02/07/2021के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर के प्र.क्र. 04-अ-19(3)-2020-21आ.दि. 02-07-2021से वन विभाग को हस्तांतरित की गई।



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 1
Date: 2021.08.11 10:56:42 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 1119020100101003000898




ग्राम: फावका भूमि के भाग की शूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/संख्याक/संख्याक)	प्लॉट संख्या (प्लॉट की संख्या)	प्लॉट संख्या (सर्वेक्षण संख्या/संख्याक/संख्याक)	पटवारी हलका: फावका 1. बेचमल (क्वार्टर/बर्ग मीटर में) 2. भूमि संख्याक 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में)	5 (शासकीय)	6 प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	7 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	8 मौजूदा कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	9 भूमि पर विद्यमान प्रभार 1. ऋण 2. दंडित/अज्ञात 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	जिला: शाजापुर		वर्ष: 2021-2022 1. भूमि के सिवार्ड संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना/पुन 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में परिवर्तनों में सुधार के आदेश
										फसल के ब्यौरे	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142202 0439	816/9 (S)			0.7000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय)							कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक02/07/2021के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज । न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर के प्र.क्र. 04/अ-19(3)/2020-21आ.दि. 02-07-2021से वन विभाग को हस्तान्तरित की गई।






CLR No. : 1119020100101003000905

ग्राम: फावका भूमि के भाग की शूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/संख्याक संख्या)	प्लॉट नं. संख्याक (हलाक की दरमा में)	पटवारी हलाक: फावका		प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	सहमीलित: मोमन बड़ादिहा				जिला: शाजापुर फसल के ब्यारे	वर्ष: 2021-2022	
			1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता / पिता / पति का नाम तथा निवास का पता	2. शासकीय भूमि		1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	2. पट्टे की अवधि	3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभार			फसल के ब्यारे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1. भूमि के सिवार्ड संबंधी प्राथमिकता 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्राथमिकता में सुधार के आदेश
142202 0237	816/1 0 (S)		1.4700 हेक्टेयर ₹.0.00	(शासकीय)								कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक 02/07/2021 के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज । न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर के प्र.क्र 04/अ-19(3)/2021-22आ.दि. 02-07-2021 से वन विभाग को हस्तान्तरित की गई।




Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 1
Date: 2021.08.12 11:38:45 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 1119020100101003000905

ग्राम: फावका		पटवारी हल्का: फावका		तहसील: नौमन बडीरिया		जिला: शाजापुर		वर्ष: 2021-2022			
भूमि के भाग की शूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/शूनिक संख्या)	भू-खण्ड संख्या (शूनिक संख्या की दया में)	पटवारी हल्का (इस्टेयट/शूनिक संख्या में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	तहसील: नौमन बडीरिया 1. सरकारी पटवार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अर्धीन क्षेत्र	मौखी कुरक (गटि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभार 1. क्षेत्र 2. दृष्टिकोण 3. पू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के अर्धीन क्षेत्रफल 1. फसल 2. खरीफ 3. रबी 4. जायद 5. अन्य	वर्ष: 2021-2022 1. भूमि के सिवार्ड संक्षी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियां 4. वर्ष के दौरान कोलन संख्या (1) से (9) तक में प्राविष्टियों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142202	816/1		1.6900	(शासकीय)							कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक02/07/2021के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज ।
0182	1 (5)		हेक्टेयर ₹.0.00								न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर के प्र.क्र. 04/अ-19(3)/2021-22आ.दि. 02-07-2021से वन विभाग को हस्तांतरित की गई।



ग्राम: फावका	पटवारी हलका: फावका	तहसील: मानन बड़ोदिया	जिला: राजापुर	वर्ष: 2021-2022							
भूमि के भाग की सूची	भू-खण्ड संख्या (खण्डों की दया में)	पटवारी हलका (सेक्टर/वर्क नंबर में)	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	सर्वकारी भूमि का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	नौकरी कुक्क (गटि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभाव	फसल के बारे में	वर्ष: 2021-2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142202 0327	816/1 2 (5)	भू-खण्ड संख्या (खण्डों की दया में)	1. क्षेत्रफल (सेक्टर/वर्क नंबर में) 2. भूमि खसरा नंबर 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में)	1. भूमि स्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि (शासकीय)	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अर्धीन क्षेत्र	नौकरी कुक्क (गटि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभाव 1. बंधक 2. दृष्टिकोण 3. पू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के बारे में	फसल के अर्धीन क्षेत्रफल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	कलेक्टर द्वारा प्र. क्र. 0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक 02/07/2021 के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज। न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला राजापुर के प्र.क्र. 04/अ-19(3)/2021-22 आ.दि. 02-07-2021 से वन विभाग को हस्तान्तरित की गई।






मध्यप्रदेश कम्प्यूटराकृत भू-अभिलेख
खसरा

प्रथम एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संरिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 1119020100101003000908

ग्राम: फावका भूमि के भाग की सूचिका आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या)	भू-खण्ड संख्या (ब्लॉक की संख्या)	पटवारी हल्का: फावका		प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	तहसील: मोमन बजोदिया		भूमि पर विद्यमान तथा प्रभार 1. बंधक 2. ट्रांसफर 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	जिला: शाजापुर		वर्ष: 2021-2022
			1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)	2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है		3. भू-राजस्व/भू-भाटक (₹. में)	1. भूस्वामी का नाम, उसकी पत्नी/पति का नाम तथा निवास का पता		2. पट्टे की अवधि	3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	
142202 0338	816/1 3 (S)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(शासकीय)							
			1.2000 हेक्टेयर ₹.0.00								कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक02/07/2021के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज ।
											न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर के प्र.क्र. 04/अ-19(3)/2021-22आ. दि. 02-07-2021से वन विभाग को हस्तांतरित की गई।



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 1
Date: 2021.08.12 11:44:23 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 1119020100101003000908




मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-आभिलेख
खसरा

प्रथम एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-आभिलेख) नियम, 2020

CLR.No. : 1119020100101003000909

ग्राम: फावका		पटवारी हल्का: फावका		तहसील: मोसन मंडोदिया		जिला: शाजापुर		वर्ष: 2021-2022			
भूमि के भाग की शूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/हलीक संख्या)	भू-खण्ड संख्या की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (₹. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अर्धीन क्षेत्र	नौकरी क्रमक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभार 1. ऋक 2. दृष्टिकोण 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के अर्धीन फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के बारे में	1. भूमि के सिंबाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/घर 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कोलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुझार के अर्थ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1422019 901	816/1 4 (S)		0.4900 हेक्टेयर ₹.0.00	(शासकीय)							कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक02/07/2021के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज । न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर के प्र.क्र. 04/अ-19(3)/2021-22आ.दि 02-07-2021से वन विभाग को हस्तान्तरित की गई।



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 1
Date: 2021.08.12 11:48:58 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Kharsa Copy
CLR No. : 1119020100101003000909




CLR.No. : 1119020100101003000910

ग्राम: फावका	भूमि के भाग की श्रेणी (सर्वेक्षण संख्या/ब्लॉक संख्या)	भू-खण्ड संख्या (ब्लॉक की दशा में)	पट्टायारी हलका: फावका		तहसील: मोमन बजौरिया		जिला: राजापुर		वर्ष: 2021-2022		
			1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	2. पट्टे की अवधि	3. पट्टे के अधीन क्षेत्र		मौखी कथक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142202	816/1		1.6400	(शासकीय)							
0294	5 (S)		हेक्टेयर								
			रु.0.00								

कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक02/07/2021के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज |

न्यायालय कलेक्टर महोदय के प्र.क्र 04/अ-19(3)/2021-22आ.दि. 02-07-2021से वन विभाग को हस्तान्तरित की गई।






मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा

प्रथम एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 1119020100101003000911

ग्राम: फावका		पटवारी हत्का: फावका		तहसील: मोनम बड़ोदिया		जिला: राजापुर		वर्ष: 2021-2022			
भूमि के भाग की शूनिक आईडी	भूमि के प्रकार (सर्वेक्षण सत्यापक/हत्का सत्यापक)	भू-खण्ड संख्या (हत्का सत्यापक की दशा में)	1. बेअर (किन्टैयर/वॉटर् में) 2. भूमि उपयोग 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	सौखी कृषक (मिटि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभार 1. ऋक 2. दृष्टिबधक 3. यू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यारे फसल के अधीन 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	1. भूमि के सिवाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/दृष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ड के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में परिवर्तियों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142202 0248	816/1 6 (S)		1.2000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय)							कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक02/07/2021के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज । न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला राजापुर के प्र.क्र.04/अ-19(3)/2021-22आ.दि. 02-07-2021से वन विभाग को हस्तान्तरित की गई।



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 1
Date: 2021.08.12 11:52:15 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 1119020100101003000911



मध्य प्रदेश कम्प्यूटराइज्ड भू-अभिलेख


खसरा

प्रत्येक एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 1119020100101003000913

ग्राम: फावका		पटवारी हल्का: फावका		तहसील: नौनम मंडोदिया		जिला: राजापुर		वर्ष: 2021-2022						
भूमि के भाग की श्रेणी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/संख्या)	भू-खुपड़ संख्या (सर्वेक्षण की दस्तावेज)	पटवारी हल्का (किन्टार/वर्ग मीटर में)	1. क्षेत्रफल (किन्टार/वर्ग मीटर में)	2. भूमि उपयोग	3. भू-राजस्व/भू-पाटक (रु. में)	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंग	1. सरकारी नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	2. पट्टे की अवधि	3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	4. अन्य	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभाव	फसल के ब्यारे	वर्ष: 2021-2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/घुस 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में परिवर्तनों में सुधार के आदेश	
1422019 945	816/1 8 (5)		2.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय)										कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक02/07/2021के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज । न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला राजापुर के प्र. क्र. 04/अ-19(3)/2021-22आ.दि. 02-07-2021से वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 1
Date: 2021.08.12 11:54:56 IST
Reason: Digital Extract of Land Record - Khasra Copy
CLR No. : 1119020100101003000913




मध्य प्रदेश कम्प्यूटराकृत भू-अभिलेख
खसरा

प्रथम एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR.No. : 1119020100101003000914

ग्राम: फावका		पटवारी हल्का: फावका		रासरील: मोनम बडोदिया		जिला: शाजापुर		वर्ष: 2021-2022			
भूमि के भाग का प्रारंभिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/हलका संख्या)	भू-खण्ड संख्या (हलका की संख्या)	भू-खण्ड (हलका संख्या/हलका संख्या)	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अर्धीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विच्छेद प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यारे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अर्धीन क्षेत्रफल	वर्ष: 2021-2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142202 0114	816/1 9 (S)		23.9600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय)							
कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक02/07/2021के अनुसार दिनांक 03/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज ।											
न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर के प्र.क्र. 04/अ-19(3)/2021-22आ. दि. 02-07-2021से 12.00हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी											



Digitally signed by DS COMMISSIONER LAND RECORDS AND SETTLEMENT MADHYA PRADESH 1
Date: 2021.08.12 11:56:13 +05:30
Reason: Digital Extract of Land Record - Khastar Copy
CLR No. : 1119020100101003000914



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: बांडाहेडी	भूमि के भाग की प्रकृति (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)		पटवारी हल्का: उमरिया दया		तहसील: मोमन बड़ीदिया		जिला: शाजापुर		वर्ष: 2021-2022			
	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक/ब्लॉक की दशा में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)	भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता		2. पट्टे की अवधि	3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुपी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1. भूमि के सिवाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1117522822	103 (S)		11.1100 हेक्टेयर	(शासकीय)								कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0004/अ-19(3)/2021-22 एवं आदेश दिनांक 02/07/2021 के अनुसार दिनांक 12/08/2021 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज।
			₹.0.00									श्रीमान कलेक्टर महोदय शाजापुर के प्र.क्र. 08/अ-१९ (३)/२०२१-२२ आ दी ०२-०७-२०२१ से ११ है भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की गई.

नोट :-

- यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
- इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई.टी. सेंटर से लोक सेवा केंद्र से एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
- प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/लोक सेवा केंद्र में संपर्क करें।



खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: बांडाहेडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)		पटवारी हल्का: उमरिया दया			तहसील: मोमन बड़ोदिया			जिला: शाजापुर		वर्ष: 2021-2022
	भूमि के भाग की युनिक आईडी	भू-खण्ड संख्यांक/ब्लॉक की दशा में	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलिंगम तथा प्रभार	फसल के ब्यौरे	फसल के ब्यौरे	वर्ष: 2021-2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1275346034	313 (S)		13.8900 हेक्टेयर	(शासकीय)							
			₹.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई.टी. सेंटर से लोक सेवा केंद्र से एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

श्रीमान कलेक्टर महोदय शाजापुर के प्र.क्र.०४/अ१९(३)/२०२१-२२ आ दी ०२/०७/२०२१ से १३.८९ हे भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की गई.

-: न्यायालय कलेक्टर, जिला शाजापुर (मध्य प्रदेश) :-

प्र.क्र. 06/अ-20(3)/2022-23



मो.बडोदिया तहसील के ग्राम रोल्याखेडी में आई.एस.पी. कालीसिंध (द्वितीय चरण) माईको उद्दवहन सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि के व्यपवर्तन के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि हस्तांतरण बाबत।

:: आदेश ::

(दिनांक 18/05/2022 को पारित)

1- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि वनगंडलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर पत्र क्रमांक/मा.वि./2022/1029 शाजापुर दिनांक 21.03.2022 से अवगत कराया कि कलेक्टर न्यायालय जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2021 से जिला खण्डवा एवं देवास के अंतर्गत आई.एस.पी. कालीसिंध द्वितीय चरण माईको उद्दवहन सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 147.090 हेक्टर वन भूमि (वनगंडल खण्डवा की 46.989 हेक्टर एवं वनमंडल देवास की 100.101 हेक्टर) में प्रभावित होने वाली वनभूमि के व्यपवर्तन के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल 151.22 हेक्टर राजस्व भूमि हस्तांतरण की गई, जिसमें से 141.130 हेक्टर भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। ग्राम मांगलिया के आवंटित भूमि सर्वे क्रमांक 220 में से 1.000 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 285/4 में से 2.05 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 239 में से 3.000 हेक्टर भूमि अनुपर्युक्त पाई गयी तथा ग्राम कसूला की भूमि सर्वे क्रमांक 2247 की हस्तांतरित रकबा 4.04 हेक्टर भूमि अनुपर्युक्त पाई गयी इस प्रकार कुल भूमि 10.09 हेक्टर भूमि अनुपर्युक्त पायी गई। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा समतुल्य गैर वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किये जाने की शर्त अधिरोपित की जाती है। रकबा 10.09 हेक्टर गैर वनभूमि की आवश्यकता है, इस हेतु ग्राम रोल्याखेडी तहसील मो.बडोदिया के सर्वे क्रमांक 4/5 रकबा 6.73 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 19 रकबा 4.27 हेक्टर गैर वनभूमि (कुल रकबा 11.00 हेक्टर) को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित की जाने की मांग की गई। नजूल अधिकारी शाजापुर द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रारूप-दो सहित ग्राम रोल्याखेडी तहसील मो.बडोदिया के सर्वे क्रमांक 4/5 रकबा 6.73 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 19 रकबा 4.27 हेक्टर गैर वनभूमि (कुल रकबा 11.00 हेक्टर) को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

2- प्रकरण विधिवत शीर्ष अ-20(3) में दर्ज किया जाकर म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल परिपत्र क्रमांक एफ-6-75-2019-सात-शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी मप्र-नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 में निहित नवीन प्रावधानों के तहत प्रकरण में निर्णय लिये जाने हेतु जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 05.05.2022 को आयोजित की गई।

3- जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा बैठक में नजूल अधिकारी शाजापुर द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन एवं प्रकरण के साथ संलग्न दरस्तावेजों के आधार पर ग्राम रोल्याखेडी तहसील मो. बडोदिया के शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 4/5 रकबा 6.73 हेक्टर नोईयत गैर मुमकिन बर्डी शासकीय एवं सर्वे क्रमांक 19 रकबा 4.27 हेक्टर नोईयत शासकीय खसरा वर्ष 2022-23 में अंकित है, को कुल कित्ता 02 कुल रकबा 11.00 हेक्टर गैर वनभूमि को भूमि आई.एस.पी. कालीसिंध माईको उद्दवहन सिंचाई योजना द्वितीय चरण निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन


कलेक्टर
जिला शाजापुर (म.प्र.)



भूमि के व्यपवर्तन हेतु रामतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा सर्व सहमति से लिया गया तथा कलेक्टर न्यायालय जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ-19(3)/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2021 से जिला खण्डवा एवं देवास के अंतर्गत आई.एस.पी. कालीसिंध द्वितीय चरण माईको उददवहन सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 147.090 हेक्टर वन भूमि (वनमंडल खण्डवा की 46.989 हेक्टर एवं वनमंडल देवास की 100.101 हेक्टर) में प्रभावित होने वाली वनभूमि के व्यपवर्तन के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल 151.22 हेक्टर राजस्व भूमि हस्तांतरण की गई, जिसमें से 141.130 हेक्टर भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। ग्राम मांगलिया के आवंटित भूमि सर्वे क्रमांक 220 में से 1.000 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 285/4 में से 2.05 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 239 में से 3.000 हेक्टर भूमि अनुपर्युक्त पाई गयी तथा ग्राम कडूला की भूमि सर्वे क्रमांक 2247 की हस्तांतरित रकबा 4.04 हेक्टर भूमि अनुपर्युक्त पाई गयी इस प्रकार कुल भूमि 10.09 हेक्टर भूमि अनुपर्युक्त पायी गई, का आवंटन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर अनुपर्युक्त पायी भूमि को पूर्ववत मद में दर्ज किये जाने का निर्णय समिति द्वारा सर्व सहमति से लिया गया।

4- अतः म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल परिपत्र क्रमांक एफ-6-75-2019-सात-शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 16 के तहत सक्षम प्राधिकारी-जिला नजूल निर्वर्तन समिति की स्वीकृति उपरांत ग्राम मांगलिया के आवंटित भूमि सर्वे क्रमांक 220 में से 1.000 हेक्टर, सर्वे क्रमांक 285/4 में से 2.05 हेक्टर एवं सर्वे क्रमांक 239 में से 3.000 हेक्टर भूमि तथा ग्राम कडूला की भूमि सर्वे क्रमांक 2247 की हस्तांतरित रकबा 4.04 हेक्टर भूमि अनुपर्युक्त पाई गयी इस प्रकार कुल भूमि 10.09 हेक्टर भूमि जो अनुपर्युक्त पायी गई, का आवंटन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर अनुपर्युक्त पायी भूमि को पूर्ववत मद में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा मो.बडोदिया तहसील के ग्राम रोल्याखेडी में आई.एस.पी. कालीसिंध (द्वितीय चरण) माईको उददवहन सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनभूमि के व्यपवर्तन के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि जिसे नक्शा में दर्शाया गया है, को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(1) के तहत उसकी वर्तमान मद से कम किया जाकर मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 17 के तहत निम्नानुसार निःशुल्क हस्तांतरित की जाती है :-

स.क्र.	ग्राम	सर्वे क्रमांक	कुल रकबा (रकबा हेक्टर में)	मद	हस्तांतरित रकबा (रकबा हेक्टर में)
1	2	3	4	5	7
1	रोल्याखेडी	415	6.73	गै.मु.ब. शासकीय	6.73
		19	4.27	शासकीय	4.27
कुल आवंटित रकबा					11.00

5- तहसीलदार मो.बडोदिया आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की पृविष्टि अभिलेख में अंकित करावे तथा वन विभाग को हस्तांतरित भूमि का कब्जा सौंप कर, कब्जा रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाये।

यह आदेश आज दिनांक 18/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(दिनेश जैन)
कलेक्टर
जिला शाजापुर(मोप्रो)



पृष्ठांकन क्रमांक/रीडर-एक/2022/478

शाजापुर दिनांक 18/05/2022

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख राजस्व आयुक्त मप्र शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल।
 - 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
 - 3- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाजापुर।
 - 4- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन।
 - 5- तहसीलदार तहसील मो.बडोदिया की ओर आदेशानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है की कब्जा रिपोर्ट, अमलशुदा खसरा, नक्शा एवं कब्जा प्राप्ति रसीद सहित 07 दिवस में इस न्यायालय को भिजवाये।
- 8- मेसर्स गेवा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एस-2 देवनोकोट इंडस्ट्रीयल स्टेट बालानगर हेदराबाद की ओर सूचनार्थ।


कलेक्टर
जिल्ला शाजापुर (म.प्र.)

—:: न्यायालय कलेक्टर, जिला शाजापुर (मध्य प्रदेश) ::—

प्रकरण क्रमांक

04/अ-19(3)/2021-22



मो.बडोदिया तहसील के ग्राम मांगलिया, फावका, कडूला, माल्याहेडी एवं बाण्डाहेडी में आई.एस.पी. कालीसिंध माइकों उद्वहन सिंचाई योजना द्वितीय चरण निर्माण कार्य में प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु राजस्व भूमि हस्तांतरण बाबत।

आदेश

(दिनांक 07/07/2021 को पारित)

1- प्रकरण का विवरण यह है कि कार्यपालन यंत्री नर्मदा नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा अवगत कराया कि आई.एस.पी. कालीसिंध माइकों उद्वहन सिंचाई योजना द्वितीय चरण निर्माण कार्य में प्रभावित लगभग रकबा 150 हेक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तित की जाना प्रस्तावित है, जिसके व्यपवर्तन के प्रस्ताव वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत शासन को प्रेषित किये जाना है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार वन भूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति प्रस्ताव हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 150 हेक्टर के समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जाना है। वनमंडलाधिकारी जिला शाजापुर एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा नवीन प्रावधानों के तहत प्रारूप एक भरकर प्रभावित वन भूमि रकबा 150 हेक्टर के समतुल्य गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जाने की मांग की गई। नजूल अधिकारी शाजापुर द्वारा ग्राम मांगलिया की भूमि सर्वे क्रमांक 72 रकबा 5.96 हे० नोईयत बर्डी, 73 रकबा 7.77 हे० नोईयत बर्डी, 40/3 रकबा 2.00 हे० नोईयत बर्डी, 182 रकबा 6.15 हे० नोईयत गै. मु. बर्डी, 220 रकबा 7.58 हे० नोईयत बर्डी मे से 6.58 हे० (1 हे० गिटटी केशन मशीन को आवंटित होने से) , 285/4 रकबा 2.05 हे० नोईयत गै.मु.बर्डी, 736/4 रकबा 2.25 हे० नोईयत बर्डी, 239 रकबा 14.00 हे० नोईयत बर्डी मे से 12.00 हे०, (2.00 हे० सडक निर्माण हेतु भूमि आरक्षित होने से) इस प्रकार कुल किता 08 कुल रकबा 44.76 हे० भूमि, ग्राम फावका की भूमि सर्वे क्रमांक 816/1 रकबा 0.63 हे० नोईयत गै.मु., 816/2 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/3 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/4 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/5 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/6 रकबा 1.26 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/7 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/8 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/9 रकबा 0.70 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/10 रकबा 1.47 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/11 रकबा 1.69 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/12 रकबा 1.49 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/13 रकबा 1.20 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/14 रकबा 0.49 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/15 रकबा 1.64 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/16 रकबा 1.20 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/17 रकबा 0.63 नोईयत च. गै.मु, 816/18 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु, 816/19 रकबा 23.96 हे० नोईयत गौ. मे से 12.00 हे० , 816/822 रकबा 1.14 हे० नोईयत नाला(नाला मद परिवर्तन किये बिना) इस प्रकार कुल किता 20 कुल रकबा 39.54 हे० भूमि, ग्राम कडूला मे सर्वे क्रमांक 2243/3 रकबा 4.82 हे० नोईयत गौ. , 2244 रकबा 3.37 हे० नोईयत गौ. गै.मु., 2245 रकबा 5.75 हे० नोईयत गौ. , 2246 रकबा 10.50 हे० नोईयत गै.मु. मे से 7.50 हे०, 2247 रकबा 6.04 हे० नोईयत. गै.मु. मे से 4.04 हे०, कुल किता 05 कुल रकबा 25.48 हे०

कलेक्टर
जिला शाजापुर (म.प्र.)



भूमि, ग्राम माल्याहेडी में भूमि सर्वे क्रमांक 939 रकबा 6.62 हे० नोईयत पहाड, 941 रकबा 28.85 हे० नोईयत पहाड मे से 6.82 हे० इस प्रकार कुल किता 02 कुल रकबा 13.44 हे० तथा ग्राम बाण्डाहेडी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 103 रकबा 11.11 हे० नोईयत उसर गै.मु., 313 रकबा 13.89 हे० नोईयत उसर, 435 रकबा 7.35 हे० नोईयत कृ. मे से 3.00 हे० कुल किता 03 कुल रकबा 28 हेवटेयर इस प्रकार तहसील मोहन बडौदिया के कुल पांच ग्रामो कमशः मांगलिया, फावका, कडूला, माल्याहेडी, बांडाहेडी मे कुल रकबा 151.22 हे० भूमि आई.एस.पी. कालीसिंध माइकों उदवहन सिंचाई योजना द्वितीय चरण निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षरोपण हेतु हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण जांच प्रतिवेदन प्रारूप 2 इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।

2- प्रकरण विधिवत शीर्ष अ-19(3) में दर्ज किया जाकर म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल परिपत्र क्रमांक एफ-6-75-2019-सात-शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 में निहित नवीन प्रावधानों के तहत प्रकरण में निर्णय लिये जाने हेतु जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 02.07.2021 को आयोजित की गई।

3- जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा बैठक में नजूल अधिकारी शाजापुर द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन एवं प्रकरण के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ग्राम मांगलिया की भूमि सर्वे क्रमांक 72 रकबा 5.96 हे० नोईयत बर्डी, 73 रकबा 7.77 हे० नोईयत बर्डी, 40/3 रकबा 2.00 हे० नोईयत बर्डी, 182 रकबा 6.15 हे० नोईयत गै. मु. बर्डी, 220 रकबा 7.58 हे० नोईयत बर्डी मे से 6.58 हे० (1 हे० गिटटी केशन मशीन को आवंटित होने से), 285/4 रकबा 2.05 हे० नोईयत गै.मु.बर्डी, 736/4 रकबा 2.25 हे० नोईयत बर्डी, 239 रकबा 14.00 हे० नोईयत बर्डी मे से 12.00 हे०, (2.00 हे० सडक निर्माण हेतु भूमि आरक्षित होने से) इस प्रकार कुल किता 08 कुल रकबा 44.76 हे० भूमि, ग्राम फावका की भूमि सर्वे क्रमांक 816/1 रकबा 0.63 हे० नोईयत गै.मु., 816/2 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु., 816/3 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु., 816/4 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु., 816/5 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु., 816/6 रकबा 1.26 हे० नोईयत च. गै.मु., 816/7 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु., 816/8 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु., 816/9 रकबा 0.70 हे० नोईयत च. गै.मु., 816/10 रकबा 1.47 हे० नोईयत च. गै.मु., 816/11 रकबा 1.69 हे० नोईयत च. गै.मु., 816/12 रकबा 1.49 हे० नोईयत च. गै.मु., 816/13 रकबा 1.20 हे० नोईयत च. गै.मु., 816/14 रकबा 0.49 हे० नोईयत च. गै.मु., 816/15 रकबा 1.64 हे० नोईयत च. गै.मु., 816/16 रकबा 1.20 हे० नोईयत च. गै.मु., 816/17 रकबा 0.63 नोईयत च. गै.मु., 816/18 रकबा 2.00 हे० नोईयत च. गै.मु., 816/19 रकबा 23.96 हे० नोईयत गौ. मे से 12.00 हे०, 816/822 रकबा 1.14 हे० नोईयत नाला(नाला मद परिवर्तन किये बिना) इस प्रकार कुल किता 20 कुल रकबा 39.54 हे० भूमि, ग्राम कडूला मे सर्वे क्रमांक 2243/3 रकबा 4.82 हे० नोईयत गौ., 2244 रकबा 3.37 हे० नोईयत गौ. गै.मु., 2245 रकबा 5.75 हे० नोईयत गौ., 2246 रकबा 10.50 हे० नोईयत गै.मु. मे से 7.50 हे०, 2247 रकबा 6.04 हे० नोईयत गै.मु. मे से 4.04 हे०, कुल किता 05 कुल रकबा 25.48 हे० भूमि, ग्राम माल्याहेडी में भूमि सर्वे क्रमांक 939 रकबा 6.62 हे० नोईयत पहाड, 941 रकबा 28.85 हे० नोईयत पहाड मे से 6.82 हे० इस प्रकार कुल किता 02 कुल रकबा 13.44 हे० तथा ग्राम बाण्डाहेडी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 103 रकबा 11.11 हे० नोईयत उसर गै.मु., 313 रकबा 13.89 हे० नोईयत उसर, 435 रकबा 7.35 हे० नोईयत कृ. मे से 3.00 हे० कुल किता 03 कुल रकबा 28 हेवटेयर इस प्रकार तहसील मोहन बडौदिया के कुल पांच ग्रामो कमशः मांगलिया, फावका, कडूला, माल्याहेडी, बांडाहेडी मे कुल रकबा 151.22 हे० भूमि आई.एस.पी. कालीसिंध माइकों उदवहन सिंचाई योजना द्वितीय चरण निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग

2

कलक्टर

जिला शाजापुर (म.प्र.)

को वैकल्पिक वृक्षरोपण हेतु हस्तांतरित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा सर्व सहमति से लिया गया। नजूल अधिकारी जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम फावका, मांगलिया, कड़ूला, माल्याहेडी एवं बाण्डाहेडी में चरनोई का रकबा 2 प्रतिशत सुरक्षित रहेगा।



4- अतः म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल परिपत्र क्रमांक एफ-6-75-2019-सात-शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितम्बर 2020 से जारी मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 16 के तहत सक्षम प्राधिकारी-जिला नजूल निर्वर्तन समिति की स्वीकृति उपरान्त आई.एस.पी. कालीसिंध माइकों उदवहन सिंचाई योजना द्वितीय चरण निर्माण कार्य में प्रभावित लगभग 150 हेक्टर वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षरोपण के लिये जिसे प्रकरण में शामिल नजरी नक्शा में लालस्याही से चिन्हित करके दर्शाया गया है, को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(1) के तहत उसकी वर्तमान मद से कम किया जाकर (नाला भूमि का मद परिवर्तन किये बिना) मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 17 के तहत निम्नानुसार निःशुल्क निम्न शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जाती है :-

स. क्र.	ग्राम	सर्वे क्रमांक	कुल रकबा (रकबा हेक्टर में)	मद	मौके की स्थिति	हस्तांतरित रकबा (रकबा हेक्टर में)
01	मांगलिया	72	5.96	बडी	रिक्त	5.96
		73	7.77	बडी	रिक्त	7.77
		40/3	2.00	बडी	रिक्त	2.00
		182	6.15	गै.मु.ब डी	रिक्त	6.15
		220	6.58	बडी	रिक्त	6.58
		285/4	2.05	गै.मु.ब डी	रिक्त	2.05
		736/4	2.25	बडी	रिक्त	2.25
		239	14.00	बडी	रिक्त	12.00
कुल रकबा						44.76
02	फावका	816/1	0.63	गै.मु	रिक्त	0.63
		816/2	2.00	च.गै.मु	रिक्त	2.00
		816/3	2.00	च.गै.मु	रिक्त	2.00
		816/4	2.00	च.गै.मु	रिक्त	2.00
		816/5	2.00	च.गै.मु	रिक्त	2.00
		816/6	1.26	च.गै.मु	रिक्त	1.26
		816/7	2.00	च.गै.मु	रिक्त	2.00
		816/8	2.00	च.गै.मु	रिक्त	2.00
		816/9	0.70	च.गै.मु	रिक्त	0.70
		816/10	1.47	च.गै.मु	रिक्त	1.47

(10)
कलेक्टर
शाजापुर (म.प्र.)



		816/1 1	1.69	च.गै.मु	रिक्त	1.69
		816/1 2	1.49	च.गै.मु	रिक्त	1.49
		816/1 3	1.20	च.गै.मु	रिक्त	1.20
		816/1 4	0.49	च.गै.मु	रिक्त	0.49
		816/1 5	1.64	च.गै.मु	रिक्त	1.64
		816/1 6	1.20	च.गै.मु	रिक्त	1.20
		816/1 7	0.63	च.गै.मु	रिक्त	0.63
		816/1 8	2.00	च.गै.मु	रिक्त	2.00
		816/1 9	23.96	गो.गै.मु	रिक्त	12.00
		816/8 22	1.14	नाला	-	1.14
कुल रकबा						39.54
03	कडूला	2243/ 3	4.82	गो.	रिक्त	4.82
		2244	3.37	गो.गै.मु	रिक्त	3.37
		2245	5.75	गो.	रिक्त	5.75
		2246	10.50	गै.मु	रिक्त	7.50
		2247	6.04	गै.मु	रिक्त	4.04
कुल रकबा						25.48
04	माल्याहेडी	939	6.62	पहाड	रिक्त	6.62
		941	28.85	पहाड	रिक्त	6.82
कुल रकबा						13.44
05	बाण्डाहेडी	103	11.11	उसर गै.मु.	रिक्त	11.11
		313	13.89	उसर	रिक्त	13.89
		435	7.35	कृ.	रिक्त	3.00
कुल रकबा						28.00
हस्तांतरित कुल रकबा						151.22

शर्त:-

1. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आवंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
2. विभाग को भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं प्रबंधन संबंधी गतिविधि प्रयोजन हेतु ही किया जा सकेगा।

10
कलेक्टर
जिला राजापुर (न.प्र.)



3. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।
4. हस्तांतरित की गई भूमि पूर्णतः शासन के स्वामित्व की रहेगी।
5. किसी कारण से योजना का क्रियान्वयन नहीं होता है अथवा हस्तांतरित की गई भूमि पर शासन निर्देशानुसार वृक्षारोपण नहीं किया जाता है या हस्तांतरित की गई भूमि का उपयोग प्रस्तावित परियोजना में वर्णित प्रयोजन हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिये किया जाता है तो यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। तथा यह भूमि वापस राजस्व विभाग को अंकित की जाकर राजस्व विभाग द्वारा वापस अपने आधिपत्य में ली जावेगी।
6. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त करना होगी।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

5- तहसीलदार मो.बडोदिया आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की पृविष्टि अभिलेख में अंकित करावे तथा वन विभाग को हस्तांतरित भूमि का कब्जा सौंप कर, कब्जा रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाये।

यह आदेश आज दिनांक 02/07/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(दिनेश जैन)

कलेक्टर

जिला शाजापुर(म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक/रीडर-एक/2021/396
प्रतिलिपि:-

शाजापुर दिनांक 02/07/2021

- 1- प्रमुख राजस्व आयुक्त मप्र शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 2- आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
- 3- वनमंडलाधिकारी जिला शाजापुर।
- 4- कार्यपालन यंत्री नर्मदा नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाजापुर।
- 6- तहसीलदार तहसील मो.बडोदिया की ओर आदेशानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है की कब्जा रिपोर्ट, अमलशुदा खसरा, नक्शा एवं कब्जा प्राप्ति रसीद सहित 07 दिवस में इस न्यायालय को भिजवाये।

कलेक्टर
कलेक्टर
जिला शाजापुर(म0प्र0)